ऑन लाईन नं. GCMS 2025/77

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 26/2025

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री मनीष पुत्र श्री धनराज (विक्रेता), नामदेव गुरूद्वारा के पास, वार्ड न.10, रायसिंहनगर, मै. हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, हाल सेन्ट्रल सीटी मार्केट, दुकान नं. 45–46, रिको श्रीगंगानगर।
2. श्री राजकुमार पुत्र श्री धनराज(मालिक), वेयर हाउस के पास वार्ड न. 10, रायसिंहनगर, मै. हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, हाल सेन्ट्रल सीटी मार्केट, दुकान नं. 45–46, रिको श्रीगंगानगर।
3. श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह(प्रोपराईटर), मै. बाल गोपाल डेयरी प्रोडक्ट्स, F-280, Ranpur Industrial Area, Kubor Industrial Exl. Industrial Area Ranpura, Kota

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांक: 26.09.2025**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक– संख्या प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप–3/ई–5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.09..2024 को समय 06.45 पीएम बजे को **मैसर्स मै. हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, हाल सेन्ट्रल सीटी मार्केट, दुकान नं. 45–46, रिको श्रीगंगानगर** पर पहुँचे, मौके पर **श्री मनीष पुत्र श्री धनराज (विक्रेता)** को अपना परिचय देकर संस्थान का निरीक्षण कर संस्थान पर रखे 15–15 किलो टीन में रखे खाद्य पदार्थ **(ग्वाल कृष्ण ब्राण्ड)** के बारे मे जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का विक्रेता बताया और संस्थान में रखे 15–15 किलो टीन कुल 09 में रखे खाद्य पदार्थ **(ग्वाल कृष्ण ब्राण्ड)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया, इसी खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ **(ग्वाल कृष्ण ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री मनीष पुत्र श्री धनराज (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं 5

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री मनीष पुत्र श्री धनराज (विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ 15—15 किलो टीनों में रखे **गाय का घी(ग्वाल कृष्ण ब्राण्ड)** में से एक टीन को खोलकर 800 ग्राम को वजनी कर विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ **गाय का घी(ग्वाल कृष्ण ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 296/— रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता व मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **गाय का घी(ग्वाल कृष्ण ब्राण्ड)** को मूल चार जार में पैक कर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के—2461** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के—2461 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री मनीष पुत्र श्री धनराज (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :—:L.S./1125/Act/2024/1125 Dated 24-09-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2461 Unsafe Food** होना पाया गया। स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः जांच हेतु मालिक को सूचित किया गया, जिस पर मालिक ने रेफरल फूड लेब से जांच करवाने हेतु आवेदन किया। रेफरल फूड लेब से जांच

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

हेतु आवेदन करने के पश्चात रेफरल फूड लेबोरेट्री, पूने द्वारा जारी जांच रिपोर्ट कमांक RFL/P/DO-642/24/762/2024 Dated 29-11-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2461 Substandard Food** होना पाया गया।

इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री मनीष पुत्र श्री धनराज (विक्रेता), नामदेव गुरूद्वारा के पास, वार्ड न.10, रायसिंहनगर, मै. हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, हाल सेन्ट्रल सीटी मार्केट, दुकान नं. 45–46, रिको श्रीगंगानगर व श्री राजकुमार पुत्र श्री धनराज(मालिक), वेयर हाउस के पास वार्ड न. 10, रायसिंहनगर, मै. हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, हाल सेन्ट्रल सीटी मार्केट, दुकान नं. 45–46, रिको श्रीगंगानगर और श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह(प्रोपराईटर), मै. बाल गोपाल डेयरी प्रोडक्ट्स, F-280, Ranpur Industrial Area, Kubor Industrial Exl. Industrial Area Ranpura, Kota** द्वारा अमानक स्तर **गाय का घी(ग्वाल कृष्ण ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 17.04.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्तगण को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्तगण ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी मनीष पुत्र श्री धनराज निवासी वार्ड न. 06, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर का घी का सैंपल जो कि हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, हाल सैंटर सिटी मार्केट, दुकान न. 44–45, रिको, श्रीगंगानगर को लिया गया था, जो कि जांच में घी सबस्टेडर्ड आया था, उपरोक्त के संबंध में जो नोटिस दिया गया है, जिसमें प्रार्थी के द्वारा भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं की जावेगी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रकरण संख्या 26/2025 में निस्तारण नर्मी का रूख बरतते हुए किया जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **गाय का घी(ग्वाल कृष्ण ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-2461** रेफरल फूड लेबोरेट्री, पूने द्वारा जारी जांच रिपोर्ट कमांक RFL/P/DO-642/24/762/2024 Dated 29-11-2024 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्‌य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी मनीष पुत्र श्री धनराज निवासी वार्ड न. 06, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर का घी का सैंपल जो कि हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, हाल सैंटर सिटी मार्केट, दुकान न. 44–45, रिको, श्रीगंगानगर को लिया गया था, जो कि जांच में घी सबस्टेडर्ड आया था, उपरोक्त के संबंध में जो नोटिस दिया गया है, जिसमें प्रार्थी के द्वारा भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं की जावेगी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रकरण संख्या 26/2025 में निस्तारण नर्मी का रूख बरतते हुए किया जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Ghee(Gwal Krishna Brand)"** bearing Code No and Sr. No. **K-2461, Does not Conforms to the standard of Ghee** as per Regulation No. 2.1.8 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011 and further amendments, on the basis of tests performed. Hence found to be **Sub-standard** as per section 3(1)(zx) of Food Safety & Standard Act 2006. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण **श्री मनीष पुत्र श्री धनराज (विक्रेता), नामदेव गुरूद्वारा के पास, वार्ड न.10, रायसिंहनगर, मै. हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, हाल सेन्ट्रल सीटी मार्केट, दुकान नं. 45–46, रिको श्रीगंगानगर व श्री राजकुमार पुत्र श्री धनराज(मालिक), वेयर हाउस के पास वार्ड न. 10, रायसिंहनगर, मै. हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, हाल सेन्ट्रल सीटी मार्केट, दुकान नं. 45–46, रिको श्रीगंगानगर और श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह(प्रोपराईटर), मै. बाल गोपाल डेयरी प्रोडक्ट्स, F-280, Ranpur Industrial Area, Kubor Industrial Exl. Industrial Area Ranpura, Kota** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण **श्री मनीष पुत्र श्री धनराज (विक्रेता), नामदेव गुरूद्वारा के पास, वार्ड न.10, रायसिंहनगर, मै. हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, हाल सेन्ट्रल सीटी मार्केट, दुकान नं. 45–46, रिको श्रीगंगानगर व श्री राजकुमार पुत्र श्री धनराज(मालिक), वेयर हाउस के पास वार्ड न. 10, रायसिंहनगर, मै. हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, हाल सेन्ट्रल सीटी मार्केट, दुकान नं. 45–46, रिको श्रीगंगानगर और श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह(प्रोपराईटर), मै. बाल गोपाल डेयरी प्रोडक्ट्स, F-280, Ranpur Industrial Area, Kubor Industrial Exl. Industrial Area Ranpura, Kota** को **राशि रूपये 50,000–00 (अखरे रूपये पचास हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0) श्रीगंगानगर